प0स0-स्था-2-उपाम-प्रशिक्षण -नवप्रवेशी वाणिज्यकर अधिकारी 2010-2014-15/ 2009 / वा0कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना-राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनॉक:: 20 -08 -2014

-::आदेश ::-

उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर-डी अलीगंज, लखनऊ में दिनॉक 25.08.2014 से दिनॉक 01.10.2014 तक आयोजित हो रहे आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न वाणिज्य कर अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम / पद नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1.	श्री आनन्द कुमार सिह, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-2 फिरोजाबाद
2.	सुश्री दमयन्ती गंगवार, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-2 शाहजहॉपुर
3.	श्री देवेन्द्र सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-6 अलीगढ़
4.	श्रीमती ज्योति रानी, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-2 वाराणसी सम्प्रति खण्ड-8 लखनऊ
5.	श्री राम अचल यादव, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-13 वाराणसी
6.	श्री राम चन्द्र वर्मा वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-5 फैजाबाद

प्रतीक्षारत वाणिज्य कर अधिकारी

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम / पद नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
7.	श्री सचिन कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-8 गोरखपुर
8.	श्री सुजीत कुमार सिंह , वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-6 मुरादाबाद
9.	श्री सन्तोष मणि , वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-17 वाराणसी
10.	श्री शिव शंकर बरई, वाणिज्य कर अधिकारी	खण्ड-18 गोरखपुर

प्रशिक्षु अधिकारी निम्न बिन्दुओं का पालन करेंगे :-

- प्रशिक्षु अधिकारी अपने साथ कोई भी आईडेन्टिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेन्स / वोटर कार्ड तथा दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ साथ लायेगे।
- प्रशिक्षण अवधि में आवास एवं भोजन की व्यवस्था अकादमी द्वारा की जायेगी , जिसके लिए प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन की दर से रुपया 400.00 का भुगतान अकादमी को देय होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में कोई भी अवकाश देय नहीं होगा तथा यदि प्रशिक्षणार्थी किसी भी समय अकादमी से बाहर जाते हैं तो उन्हे सत्र निदेशक की अनुमति लेकर ही जाना होगा।
- शारीरिक व्यायाम हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ सफेद हाफ पैण्ट, टी सर्ट, सफेद ट्रेकशूट व पी0टी0 शूज अवश्य लाना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान परिवार रखने की अनुमति नही होगी अत: किसी भी दशा में परिवार के किसी भी सदस्य को साथ न लायें।
- प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान अकादमी परिसद में स्थित छात्रावास में रुकना अनिवार्य है। अकादमी स्थित छात्रावास में आवासीय व्यवस्था SHARING आधार पर की जायेगी।
- **प्रतिभागी अधिकारियों को पोशाक सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा तथा पोशाक अपने साथ लानी होगी :-**

विशेष अवसरों पर / औपचारिक अवसरों पर	
पुरुष अधिकारियों हेतु -	**महिला अधिकारियों हेतु -**
काला या सफेद जोधपुरी सूट /शेरवानी / 2 या 3 पीस लाउंज सूट तथा नेक टाई और औपचारिक जूते	सलवार कमीज / साड़ी (सौम्य रंग की)/ चूडीदार कुर्ता या वेस्टर्न बिजनेस सूट तथा औपचारिक जूते या सैंडिल

प्रशिक्षण कक्षों के लिए	
पुरुष अधिकारियों हेतु - पूरी अस्तीन की शर्ट तथा टाउजर्स (गर्मियों में / और जैकेट एवं टाउजर्स (जीन्स नहीं) / शूट (सर्दियों में) और औपचारिक जूते	**महिला अधिकारियों हेतु -** सलवार कमीज / साड़ी (सौम्य रंग की)/ चूडीदार कुर्ता या वेस्टर्न बिजनेस सूट तथा औपचारिक जूते या सैंडिल

- कोई भी प्रशिक्षार्थी अपने साथ निजी वाहन नहीं लायेंगे ।
- प्रशिक्षण के सम्बन्ध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए सत्र समन्वयक श्री डी0आर0 नौडियाल से मो0 संख्या +91-9450001420 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 24.08.2014 की सायं अथवा दि0 25.08.2014 की प्रात: 9.30 बजे अनिवार्य रुप से अकादमी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें । उपरोक्त प्रशिक्षण से किसी भी दशा में छूट अनुमन्य नहीं होगी । उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोंपरान्त अवमुक्त किये जाने पर अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे । उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. विशेष सचिव, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण) समन्वय प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. संयुक्त सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
3. महानिदेशक , उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
5. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात उक्त सूची में अंकित (**सभी 04** प्रतीक्षारत अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) वाणिज्य कर अधिकारियों को दिनॉक 25.08.2014 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से अवमुक्त करते हुये निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
6. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
7. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 ।
8. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से ।
9. असि0कमि0 (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
10. स्था-2 पटल को दो प्रतियॉ अतिरिक्त ।
11. कम्प्यूटर आपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिकारियों के डेटा के साथ उक्त प्रशिक्षण का अंकन करना सुनिश्चित करें ।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।